राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

प0क:–9(88)राज–6/2006/5 जयपुर,दिनांक:– 26.3.2007

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।
निबंधक,
राजस्व मंडल,अजमेर।

आदेश

राजस्व मंडल अजमेर द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम 1999 एवं नगरीय विकास विभाग के क्र0 5(8)नविवि/99 दि0 30.8.01 जिसके द्वारा यह निर्देश थे कि कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन/हस्तांतरण/रूपान्तरण आदि की वसूल की जाने वाली राशि का 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार के बजट मद 0029 के भू राजस्व में जमा करवाया जावेगा लेकिन स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उक्त राशि विलब से जमा करवाई जा रही है जिस पर ब्याज भी वसूलनीय है।

इस सबधं में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि स्थानीय निकाय विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 30.8.2001 के कम में उक्त 40 प्रतिशत राशि जमा कराने में विलंब किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे विलब पर ब्याज 12 प्रतिशत वार्षिक दर से वसूल किया जावेगा।

परिपत्र दिनांक 30.8.01 के जारी होने से पूर्व ही यदि उक्त राशि स्थानीय निकायों द्वारा पी0डी0 खाते में जमा करा दी गई तो ऐसी परिस्थिति में ब्याज वसूलनीय नही है।

आज्ञा से
26.3.07
उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1.निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया।
2.वि0 सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,राजस्व
4.निजी सचिव, शासन सचिव राजस्व
5.समस्त उप शासन सचिव, राजस्व।
6.समस्त अनुभाग राजस्व विभाग।
7.रक्षित पत्रावली।

26.3.07
उप शासन सचिव